This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
https://rajpatra.hp.gov.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 28 मार्च, 2026 / 07 चैत्र, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th February, 2026

No. HHC/Admn.E.5(13)2023-CAO.—Sh. Promod Singh Thakur, Chief Administrative Officer of the office of the District & Sessions Judge, Kinnaur, at Rampur Bushahr, H.P., shall

stand retired from service on and with effect from 28.02.2026 (AN) on attaining the age of superannuation as per the provision of Rule 74 of CCS (Pension) Rules, 1972.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th February, 2026

No. HHC/Admn.6(18)77-IX-Part.—In exercise of the power vested in it under Section 11 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the Hon'ble the High Court of Himachal Pradesh has been pleased to confer the powers of Special Judicial Magistrate 1st Class upon Sh. Vijay Kumar, Additional Commissioner, Municipal Corporation, Mandi for a period of one year with immediate effect, to try the offences detailed in Schedule-II of Section 383 and 352 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 with power to try the aforesaid offences summarily under section 283 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, within the local limits of Municipal Corporation, Mandi.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th February, 2026

No. HHC/Admn.6(18)77-IX.—In exercise of the power vested in it under Section 11 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the Hon'ble the High Court of Himachal Pradesh has been pleased to confer the powers of Special Judicial Magistrate 1st Class upon Sh. Bhuwan Sharma (HAS), Joint Commissioner, Municipal Corporation, Shimla for further period of one year with immediate effect, to try the offences detailed in Schedule-II of Section 383 and 352 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 with power to try the aforesaid offences summarily under section 283 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, within the local limits of Municipal Corporation, Shimla.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th February, 2026

No. HHC/Admn.6(18)77-IX-Part.—In exercise of the power vested in it under Section 11 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the Hon'ble the High Court of Himachal Pradesh has been pleased to confer the powers of Special Judicial Magistrate 1st Class upon Sh. Vikas Dhaulta, Deputy District Attorney Municipal Corporation, Shimla for further period of one year with immediate effect, to try the offences detailed in Schedule-II of Section 383 and 352 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 with power to try the aforesaid offences summarily under section 283 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, within the local limits of Municipal Corporation, Shimla.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th February, 2026

No. HHC/Admn.16 (34)89-IV.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, Section 333(1)(b) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint Ms. Anita Balouria (HIM/836/2023), Advocate, as Oath Commissioner at District Headquarters, Chamba, H.P., for a period of two years with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order,

Sd/-
Registrar (Administration).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th February, 2026

No. HHC/Admn.E.5(12)/2022-CAO.—In exercise of the powers vested in him under Rule 9 of the Himachal Pradesh District Judiciary Staff (Recruitment, Promotion, Control, Conduct, Discipline and other Conditions of Service) Rules, 2022, Hon’ble the Chief

Justice has been pleased to promote/appoint **Smt. Oma Devi, Senior Sheristedar, O/o Additional District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr, H.P.,** as Chief Administrative Officer *(Selection Post)* in the office of District and Sessions Judge Kinnaur at Rampur Bushahr, H.P., in the Pay Matrix Level 17, on and with effect from 01-03-2026.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th February, 2026

No. HHC/Admn.16 (20)75-IV.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, Section 333(1)(b) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Rule 5(vi) of the H.P Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint Sh. Parvesh Kumar Sharma (HIM/29-A/2020), Advocate, as Oath Commissioner at Sub-Division, Jhandutta, Distt. Bilaspur, H.P., for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order,

Sd/-
Registrar (Administration).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th February, 2026

No. HHC/Admn.16(7)74-XVIII-Part.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, Section 333 (1) (b) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint Ms. Kirti Sharma (HIM/ 127/2017) and Ms. Manisha Kumari (HIM/352/2024), Advocates as Oath Commissioners at Palampur, District Kangra for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By Order,

Sd/-
Registrar (Administration).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001.

NOTIFICATION

Shimla, the 27th February, 2026

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter-1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM, Kangra, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judge-*cum*-JMFC, Kangra and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of Class II to IV establishments attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" during the earned leave period of Ms. Shubhangi Joshi, Civil Judge-*cum*-JMFC, Kangra, H.P. *w.e.f.* 05-03-2026 to 13-03-2026 with permission to prefix Gazetted holiday falling on 04-03-2026 or till she returns from leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th February, 2026

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Sr. Civil Judge-*cum*-CJM, Hamirpur, H.P. as Drawing and Disbursing Officer *w.e.f.* 03-03-2026 (evening)till 08-03-2026 and Sr. Civil Judge-*cum*- ACJM (I), Hamirpur and Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM(I), Hamirpur as Drawing and Disbursing Officer *w.e.f.* 09-03-2026 (morning) till 14-03-2026 (morning) in respect of the Court of Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM, Nadaun and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of Class II to IV establishments attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" during the earned leave period of Sh. Anuj Bhahal, Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM, Nadaun, H.P. *w.e.f.* 05-03-2026 to 13-03-2026 with permission to prefix Gazetted holiday falling on 04-03-2026 or till he returns from leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION UNA
DISTRICT UNA, H.P.-174 303

Phone No: 01975-226040, email: mcorpuna.hp@gmail.com, Website: https://mcuna.org/

NOTIFICATION

No. MCU/P. Tax Bye-Laws/Comm/2026.—Whereas, the Municipal Corporation Una has drafted **"**Municipal Corporation Una (Property Taxation) Bye-laws- 2026" and are hereby

published in the Rajpatra Himachal Pradesh (extra-ordinary) for inviting public objections, suggestions under Section 397 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994.

If there are objections, suggestions with respect to these Bye-Laws so drafted, it should be sent in writing to the Commissioner, Municipal Corporation Una, District Una, H.P. within a period of 30 days from the date of publication of this notice in Rajpatra, Himachal Pradesh.

The objection, suggestions received within the stipulated period will be considered and decided by the Municipal Corporation Una.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 395, 396 and 397 read with Section 88 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) the draft "Municipal Corporation Una (Property Taxation) Bye-Laws 2026",are hereby notified and published the Rajpatra Himachal Pradesh (extra-ordinary) for information of the general public as follows, namely:—

Municipal Corporation Una

(PROPERTY TAXATION)
BYE-LAWS- 2026

1. Short title and commencement.—(i) These Bye-laws may be called the Municipal Corporation Una (Property Taxation) Bye-laws- 2026.

(ii) These Bye-laws shall come into force from the date of their publication in the Raj Patra (e-gazette) Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In these Bye-laws unless the context otherwise require: —

(i) **'Act'** means the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of 1994) read with its amendment carried out *vide* H.P. Municipal Corporation (Amendment) Act No. 32 of 2011.

(ii) **'Appellate Authority'** means an authority prescribed under Section 132 of the Act.

(iii) **'Assessment List'** means the list of all units of the lands and Buildings assessable to property tax under the provisions of the H.P. Municipal Corporation Act, 1994.

(iv) **'Assessment year'** means the year commencing from the first day of April to 31st day of March of succeeding year.

(v) **'Bye-Laws'** means the Municipal Corporation Una (Property Taxation) Bye-laws, 2026 made under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and notified in the official gazette.

(vi) **'Corporation'** means the Municipal Corporation Una

(vii) **'Section'** means a Section of the Act.

(viii) **'Rateable value'** as defined in Section 88 of the Act and procedure as prescribed under these Bye-laws.

(ix) **'Unit'** means a specific portion of the land and building in use and occupation of the owner(s) or occupier(s) including vacant land and built-up portion of the building. This will not include setbacks area of Building agricultural lands and land in notified green belt as notified under the Interim Development Plan of Una Planning Area.

(x) **'Unit area'** means area of a unit in square meters

(xi) **'Unit area tax'** means property tax on unit(s) of lands & Buildings which shall be charged per annum between one percent to twenty five percent as may be determined on the basis of rate able value of unit(s) of lands & Buildings by the Corporation from time to time. All other words and expressions used here in but not defined shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

3. Assessment list what to contain.—The Commissioner shall keep a book to be called the "Assessment List" in which the following shall be entered in **Form–A** appended to these Bye-laws:—

(i) A list of all units of the lands and Buildings located within the jurisdiction of Una Municipal Corporation, distinguishing each, either by name or number and containing such particulars regarding the location or nature of each, which shall be sufficient for identification thereof.

(ii) The rateable value of each unit of the lands and Buildings

(iii) The name of the person primarily liable for payment of property tax and rateable value as well as property tax demand on his/her unit of land or Building.

(iv) If any such unit of a land or a Building is not liable to be assessed to the property tax, the reason for such non-liability; and

(v) Other details; if any, as the Commissioner may from time to time think, fit.

Explanation.—(i) for the purpose of clause (b) the rateable value of unit(s) of land will be the rateable value of unit(s) of the land and in the case of unit(s) of the building, the rateable value will include the rateable value of the land and the unit(s) of the building erected thereon.

(ii**)** For the purpose of charging property tax on a unit of land, the unit of land shall be treated as "land" till the completion plan of building is sanctioned by Municipal Corporation Una or by other competent authority of the State Government and such construction is put to use on the spot which ever occurs first. Accordingly, property tax shall be continued to be charged on the rateable value of the unit of land till such time treating it as "land"

4. Form of Assessment list.—The assessment list shall be kept in the **form-A** hereto. The Commissioner may order to add, omit, amend or alter any of the columns of the Performa of the assessment list as and when required.

5. Procedure where name of person primarily liable for property tax cannot be ascertained.—If the name of the person primarily liable for the payment of property tax in respect of any unit of any land or Building cannot be ascertained, it shall be sufficient to designate him in the assessment list, property tax bill and in any notice which may be necessary to serve up on the said person under the Act, as "the holder" of such unit of land or Building without further description.

6. Inspection of assessment list.—If assessment list has been completed, the Commissioner shall give public notice there of mentioning there in the place where assessment list or copy there of may be inspected and every person claiming to be the owner or lessee or occupier of any unit(s) of any land or building included in the assessment list and any authorized agent of such person shall be at liberty to inspect the list and to file written objection within 30 days from the date of publication of such public notice in the local newspaper(s).

7. Register of objections: —The Commissioner shall keep a register of objections in which all objections received under sub-section (4) of Section 94 and sub-section (2) of Section 96 shall be entered. The register shall contain:—

(i) The name or number of the land or building in respect of which objection is received;

(ii) Name of the person primarily liable for the payment of property tax;

(iii) Name of the objector;

(iv) The rateable value finally fixed after enquiry and investigation of the objection by the Committee constituted in this behalf;

(v) The date from which the rateable value finally fixed has to come in to force; and

(vi) Such other details as the Commissioner may from time to time think, fit.

8. Amendment of assessment list as per provisions of Section 96 and investigation and disposal of objections against such amendment:—(i) When any amendment is proposed to be made under the provisions of Section 96 such amendment will provisionally be made in the assessment list and the notice as required under sub-section (2) of Section 96 shall be served on the person affected by the amendment after affording him the opportunity to file objection, if any, against the proposed amendment within 30 days from the date of receipt of such notice.

(ii) Objections shall be inquired into and investigated by the Committee constituted in this behalf under Sub Section 5 of Section 94 of the Act, after affording opportunity of being heard to the objector.

(iii) The assessment list shall be finally amended in accordance with the decisions made by the said Committee.

(iv) If no objection is received or if the same are received but not within the time limit specified in this behalf in the notice, the assessment list shall be finally amended by confirming the provisional amendment made in the assessment list. However, for special reasons to be recorded in writing, the Committee constituted in this behalf may consider objections received after the expiry of the stipulated period.

(v) Property tax on the basis of the amended assessment list shall be due from the date specified in the assessment notice or from the date as may be decided by the Committee constituted in this behalf. Provided that the payment of property tax on the basis of the assessment list, as existing before such an amendment will not be withheld on the ground that some amendment is to be made in the list.

9. Payment of property taxes where to be made.—Every person who is liable to pay any of the property tax shall pay the same at the Head Office of the Corporation or at such other place(s) and time as may be specified by the Commissioner. However, the payment of tax shall be made either by cash or cheque or through Bank Draft drawn in favor of the Commissioner, Municipal Corporation Una, payable at Una or through RTGS in the Bank Account of Municipal Corporation Una declared for the said purpose by the Commissioner, further, the option, to pay property tax is also available through "online mode" on government portal, which is specified by the department of Urban Development Shimla H.P.

10. Demand of property tax to be raised annually by issuing one single bill for one unit of a property.—(I) Demand of property tax shall be raised annually by issuing a single property tax bill (online or offline) on **form-B** annexed to these Bye-laws for each unit of a property. The service of bill shall be affected by hand through special messenger and in case owner or occupier upon whom the bill is to be served is living outside the municipal limits, the bill shall be issued by post under certificate of posting or by registered/speed post. In case the owner or occupier avoids by hand service of the bill, the same shall be affected by affixing the bill in presence of two witnesses on the unit of the property to which the bill relates.

(ii) In case the owner or occupier upon whom the property tax bill has been served, fails to make payment of the property tax within the due date, the property tax shall be recovered by the Commissioner or by the officer/official authorized by him in this behalf by initiating appropriate process under the provisions of Section 124 of the Act

Provided that nothing herein contained shall affect the liability of such person to any increased property tax to which he may be assessed on account of the said unit of property owing to a revision of the rateable value.

(iii) The tax for the ensuring year shall be paid either in lump-sum within 30 days at the beginning of the financial year i.e. up to 30th April or in two half yearly installments. The first installment to be paid by 30th April and second installment by 30th October every year.

11. Service of property tax bills and demand notices in respect of un-partitioned unit of property.—If an un-partitioned unit of a property is owned by more than one person, service of bill(s) and notice(s) of demand on any one co-owner shall be treated as service on all the owners.

12. Demand and collection.—(i) A register of demand & collection of property tax in **form-F** appended to these bye-laws shall be maintained showing therein the figures of property tax demand, collection, rebate, remission adjustment, arrears, excess recoveries and such other particulars in relation to each unit of the property. This register will be kept either in the shape of hard copy or in the shape of soft copy or in both as the Commissioner may think fit.

(ii) The register may, if any, the Commissioner thinks fit be made in separate parts or volumes for such purposes and with such several designations as the Commissioner may determine.

(iii) The separate Register shall be maintained for recording information regarding detail of arrears for the previous years.

13. Circumstances not considered as vacancy of property.— For the purpose of Section 127 and 128 of Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994:—

(i) A unit of building or of a tenement reserved by the owner for his own occupation shall be deemed to be occupied, whether it is actually occupied by the owner or not;

(ii) Any unit of building or of a tenement used or intended to be used for the purpose of any industry which is seasonal in character shall not be deemed to be vacant merely on an account of its being unoccupied and unproductive of rent during such period or periods of the year in which seasonal operations are normally suspended; and

14. Remission/Refund not claimable unless notice of vacancy is given to the Commissioner every year.—When a vacancy continues from one year into the following year, no refund or remission of any property tax shall be claimable from the Corporation on an account of such continued vacancy unless notice thereof is given to the Commissioner within 60 days from the commencement of the next financial year.

15. Inspection by Municipal Staff of the vacant unit of the property.— If any owner or occupier does not allow or facilitate the inspection by the authorized Corporation staff of any unit of the property claimed by him to be vacant, the Commissioner may refuse to treat such unit of building or tenement, as the case may be, as vacant till the day such inspection is made, and the vacancy of the unit of property is verified.

16. Copies of property tax bill(s).—The Commissioner may, on a request in writing from the owner of any unit of land or building or any other person primarily liable to pay respect thereof, give a copy or copies of any bill/bills for any property tax on payment of such fee as may be fixed by the Commissioner from time to time.

17. Notice of transfer of title.—The notice regarding transfer of title of any unit of any property required to be given under Section 98 shall be either in **Form-C or in Form-D** annexed to these Bye-laws, as the case may be, and shall state clearly and correctly all the particulars required in the said Form(s).

18. Property tax to be paid up to date.—No such notice as contained in Bye-laws 17 above shall be deemed to be validly given unless the property tax due up to the date of transfer of title of the unit of property is paid in full.

19. Filing of return by owner(s)/occupier(s).—The Commissioner may require any owner or occupier of a unit of land or building or of any portion thereof to furnish information or a written return in **Form–E** appended to these Bye-laws. Every owner or occupier on whom any such requisition is made shall be bound to comply with the same and to give true information or to make a true return to the best of his/her knowledge or belief, within a period of thirty days from the service of such requisition upon him/her.

20. Penalty for non-submission of return.—Whosoever omits to comply with any requisition under Bye-laws 19 of these Bye-laws or fails to give true information or to make a true return to the best of his/her knowledge or belief, shall in addition to any penalty under Section 101of the Act, be precluded from objecting to any assessment made by the Commissioner in respect of such unit of the lands or Building of which he/she is the owner or occupier.

21. Inspection of tax record.—Every owner, lessee or occupier of a unit of land and building or authorized agent of any such person may, with the permission in writing of the Commissioner or any officer/official authorized by him in this behalf inspect the tax record relating to the unit of the land/building of which is owner, lessee, agent or occupier free of charge during the office hours.

22. Location factor, characteristic and its value: —For the purpose of clause (c) of Section 88 of the Act, the location Factor, Characteristic and its values shall be as under:—

Zoning of Una town proposed as follows:—

Zone A:—Includes the old Municipal Corporation Area.

Zone B:— Includes the newly merged area (*i.e.* merged in to Municipal Corporation Una *vide* Govt. of H.P. Notification **No. UD-A (1)-3/2022 Dated Shimla-2, the dated : 23-12-2024**

(ii) **Number of Zones**.—The entire old and merged Municipal area is proposed to be divided into two zones *i.e.* A & B zone as referred above. There are five factors which are relevant for determination of rateable value of lands & Buildings. The factor and proposed value of each factor per sq. meter shall be as under:—

(I) Location factor (F-1)@2.50

23. Structural factor, characteristics and its value.—For the purpose of clause (c) of Section 88 of the Act, Buildings shall be classified as Pucca, Semi-Pucca and Kutcha in the following manner:—

I. For Pucca-buildings, value per Sq. mtr = **3.00**
II. For Semi-pucca building, value per Sq. mtr = **2.00**
III. For Kutcha abuilding, value per Sq. mtr **= 1.00**

24. **Age Factor and Age-wise grouping and value of the building**.—For the purpose of clause (c) of Section 88 of the Act, all the buildings shall be grouped age-wise having factor value as mentioned against each age group as under:—

Group	Building	Fact or Value
A	Before1947	**0.75**
B	1947 to 1980	**1.50**
C	1981 to 2000	**2.00**
D	2001 to 2021	**2.50**
E	2021 & beyond	**3.00**

25. Occupancy factor, characteristics and its value.—For the purpose of Clause (C) of Section 88 of the Act, the occupancy factor and its value shall be as under:—

(i) Value for residential occupancy: —

(a)Value for self-residential	(b)Value for Let out residential
2	**2.5**

(ii) **Value per Sq.mtr. for non-residential Occupancy.**

A	**B**	**C**	**D**	**E**
Hotel above built	Hotel having built up area	Other Hotels, Bars, Restaurant,	Shops, School, Colleges,	Godowns, Dhaba, Stall

up area of 2000 Sq.mtr., MNC Show Rooms and Restaurants	between1000 to 2000 Sq.mtr. and show room above 1000 Sq. mtr.	Banks, ATMs Show rooms, Call Centre, Marriage Hall, Travel Agency,Mobile Towers, Coaching Centres	Education institutions, Offices, Hostel, Hospital, Theatre, Clubs, Paying Guest House (PGs), Guest House	and Other Types of Properties not covered Under (A to D)
12	10	8	7	3

26. **Use factor, characteristic and its value.—**For the purpose of Clause (c) of Section 88 of the Act, the Value of use factor and characteristic of the unit(s) of Lands &Buildings shall be as under: —

(i) Residential = **1.50/-**

(ii) Non-Residential = **2.50**/-

27. Method for calculation of ratebale value and Rate of property tax on the rateable value of the unit of lands and Buildings.—Area (in Sq. mtrs) of a unit multiplied by value of relevant factors of unit area method as mentioned above *vide* Clause 22 to 26 of these bye laws. The figure that will so come out, there of shall be the net rateable value of unit and property tax shall be charged on that net rateable value as under: —

Zone	Lands	Building
Zone - A	@ rate of 10 % for lands	@ rate of 12.50% for self-occupied residential properties and non-residential properties in whole Municipal area Zone - A
Zone - B	@ rate of 10 % for lands	@ rate of 11.50% for self-occupied residential properties and non-residential properties in whole Municipal area Zone - B

28. Penalty.—If a person liable for payment of Property Tax does not pay the same within a period of one month from the service of tax bill, a person shall be liable for payment of interest as per Section 121 of the Act beside initiation of recovery proceeding as per the provisions of the Section 124 of the Act.

29. Repeal and Savings.—The scheme, regulation or Bye-laws, if any, here to fore relating to the mode of levy, calculation and assessment of property tax is hereby repealed. Anything done or any action taken under the said scheme, regulation or bye-laws if any shall be deemed to have been done or taken under the provisions of these Bye-laws.

By order,

Sd/-
Commissioner,
M.C.Una.

MUNICIPAL CORPORATION UNA				
PROPERTY TAX DEPARTMENT ASSESSEEMENT LIST (*See* Bye-laws-4) FORM-A UPN-No. I.D.No._____ ZONE				
Unit	Area	Net Rateable Value	Property Tax Percentage	Amount of General Tax
Residential				
Let Out Residential				
Commercial				
Plot of Land				

DATE OF ASSESMENT				
Sl. No.	Name of Property	Name of Owner	Name of Tenant or Occupier	Remarks

Municipal Corporation Una

_____

FORM-B

(Property Tax Department)

Ph. No. 01975-226040

(*See* Bye-Laws10)

Property Tax Bill

Financial Year for the Year _____Bill No. _____Dated_____

_____ Zone_____Bill(s) Detail

UNP No.	_____
ID No.	_____
Name of Property	_____
Name of Owner/Occupier	_____
Correspondence Address	_____
	_____
Due date 15 days from the date of receipt of bill/18 days if by post from the date of dispatch of bill.	

Unit	**Area**	**Net Ratable Value**	**Property Tax Percentage**	**Amount of General Tax**
Residential				
Let Out Residential				
Commercial				
Plot of Land				

Detail of demand for Property Tax for the year_____Period _____

_____

Sl. No.	**Description of Tax**	**Amount**
1.	General Tax	
2.	(a) Rebate@10% (b) Remission	
3.	Previous Arrear Amount for the period_____	
4.	Interest Amount	
5.	Previous Credit	
6.	Amount Payable on due date	
7.	Amount Payable after due date	
8.	Amount still at credit	

Please pay bill before due date to avail 10% rebate.

Bill Prepared By ***Bill Checked By*** ***Joint Commissioner***

Receipt

UNP No. **ID No.** **Name of Owner/Occupier**	**Bill No. Bill Date** **Amount before due date** **Amount after due date** **Amount Paid** **Receipt No. Dated**

Cashier, MC Una

Terms & Conditions

1. The Municipal Corporation Treasury is open from 10:00 AM to 02:00 PM on all working days.
2. Cheques should be drawn in favor of Commissioner Municipal Corporation Una
3. Out stations cheques should be including the discount charged in such cheques
4. Rebate @ 10% is given on the taxes claimed for the current year or a bill raised (online or offline) for the first time, if the amount specified in the bill is paid (online or offline) within 15 days from the presentation there of. Bills sent under postal certificate shall be construed to have been received within three days from the date the posting and accordingly this rebate is given if payment of the bill is made within 18 days from the date of posting.
5. If the payment of the tax is not made within the financial years in which the bill is issued an interest @ 1% per month shall be payable after one month of the close of the financial year to which the bill relates.
6. The notice of demand/recovery of property tax will not confer any right on the person paying the tax or anyone else to claim validation of unauthorized construction at a later date and the same is without any prejudice to the rights of the Una Municipal Corporation to take any legal action including that of demolition in respect of such unauthorized construction/structure.
7. In case any of your payments have not been adjusted please do come with original receipts given by the Municipal Corporation Una.
8. Please always mention No./date, name of house and demand No. in all correspondence
9. It is requested that this bill be presented while tendering payment

FORM-C

(*SEE *BYE LAW17)

Form of notice of Transfer to be given which has taken place by way of instrument.

To

The Joint Commissioner,

Municipal Corporation, Una.

I _____s/o, r/o_____ hereby give notice as required by section 98 of the H. P. Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of 1994) of the following transfer of property: —

Description of Property

Name of address of person whose title has been transferred	Name & address of person to whom property title has been transferred	Detail of Property	Area of the property	Account No./ID No. of old assesses	Remarks
1	2	3	4	5	

Date _____

Name of Owner/Occupier_____

Address _____

_____

_____

Mob. No. _____

Form-D

(SEE BYE-LAW 17)

Form of notice of Transfer to be given which has taken place other wise than by instrument.

To

The Joint Commissioner,
Municipal Corporation, Una.

I _____ s/o _____r/o_____hereby give notice as required by section 98 of the H.P. Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) of the following transfer of property: —

Description of Property

Name of address of person whose Title has been transferred	Name heir/ successor to whom property title has been transferred	Detail of Property	Area of the property	Account No./ID No. of old assesses	Remarks
1	**2**	**3**	**4**	**5**	

Date _____ Name of Owner/Occupier _____

Address _____
_____
_____

Mob. No. _____

_____

FORM-E

(Tax liability form under section 99/101 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994)
(*See* Bye-law 19)

To

The Joint Commissioner,
Municipal Corporation, Una.

Subject.—Filling of return for assessment of properties for Municipal Taxes.

Sir/Madam,

I am submitting the details of property known as…I.D. No……Ward No. ……..Zone as under: —

Sl. No.	Unit	Area	Factors					Total rateable Value	Maintenance & Repair Rebate @10% under section 88 of MC Act.	Netrate-able value	Remarks
			F1	F2	F3	F4	F5	F1to F5 (Multi-ply)			
1.	(a) Residential		2.50			2.00	1.50				
	(b) Let out Residential		2.50			2.50	2.50				
2.	Non-Residential/ Commercial										
	(a) Hotel above built-up area of 2000sq.m., MNC Show Rooms and Restaurants		2.50			12	2.50				
	(b) Hotel having built up area between1000 to 2000sq.m. and showroom above 1000sq.M.		2.50			10	2.50				
	(c) Other Hotels, Bars, Restaurant, Banks, ATMs Show rooms, Call Centre, Marriage Hall, Travel Agency, Mobile Towers, Coaching Centre		2.50			8	2.50				
	(d) Shops, Schools, Colleges, Hostel, Hospital, Theatre, Clubs, Paying Guest House (PGs), Guest House, Educational Institutions, Offices.		2.50			7	2.50				
	(e) God owns, Dhaba, Stall and Other Types of Properties not covered Under (a to e).		2.50			3	2.50				
3.	Plot of Land		2.50								

I, hereby declare that the information furnished above is correct to the best of my knowledge or belief and that nothing has been concealed therefrom.

Date……

Yours faithfully,

(Signature)

*Owner/Agent/Occupier.

Name in block letters…..……....

Address……

……

Mob. No ……..……

I. **Number of zones.—**The entire old and merged Municipal area has been divided *i.e.* A & B zone.

Location factor (F-1) @ 2.50

II. **Structural factor, characteristics and its value: —** For the purpose of clause (c) of Section 88 of the Act, Buildings shall be classified as Pucca, Semi-Pucca and Kutcha in the following manner: —

i.	For Pucca-buildings, value per Sq.mtr	= **3.00**
ii.	For Semi-pucca building, value per Sq.mtr	= **2.00**
iii.	For Kutcha building, value per Sq.mtr	**= 1.00**

III. **Age Factor and Age-wise grouping and value of the building**: —For the purpose of clause (c) of Section 88 of the Act, all the buildings shall be grouped age-wise having factor value as mentioned against each age group as under: —

Group	Building	Factor Value
A	Before1947	**0.75**
B	1947to1980	**1.50**
C	1981 to 2000	**2.00**
D	2001to 2021	**2.50**
E	2021 & beyond	**3.00**

IV. **Occupancy factor, characteristics and its value.—**For the purpose of Clause (C) of Section 88 of the Act, the occupancy factor and its value shall be as under:—

Value for residential occupancy:—

(a) Value for self-residential	(b)Value for Let out residential
2	**2.5**

V. **Value per Sq. mtr. for non-residential Occupancy**

A	B	C	D	E
Hotel above built-up area of 2000 Sq.mtr., MNC Show Rooms and Restaurants	Hotel having builtup area between1000 to 2000 Sq.mtr. and show room above 1000 Sq. mtr.	Other Hotels, Bars, Restaurant, Banks, ATMs Show rooms, Call Centre, Marriage Hall, Travel Agency, Mobile Towers, Coaching Centers.	Shops, School, Colleges, Education institutions, Offices, Hostel, Hospital, Theatre, Clubs, Paying Guest House (PGs), Guest House	God owns, Dhaba, Stall and Other Types of Properties not covered Under(A to D)
12	**10**	**8**	**7**	**3**

VI. **Use factor, characteristic and its value: —**For the purpose of Clause (c) of Section 88 of the Act, the Value of use factor and characteristic of the unit(s) of Lands & Buildings shall be as under:—

(i) Residential = **1.50/-**

(ii) Non-Residential = **2.50/-**

VII. Method for calculation of ratebale value and Rate of property tax on the rateable value of the unit of lands and Buildings.—Area (in Sq. mtrs) of a unit multiplied by value of relevant factors of unit area method as mentioned above *vide* Clause 22 to 26 of these Bye-laws. The figure that will so come out, there of shall be the net rateable value of unit and property tax shall be charged on that net rateable value as under:—

Zone	Lands	Building
Zone - A	@ rate of 10 % for lands	@ rate of 12.50% for self-occupied residential properties and non-residential properties in whole Municipal area Zone - A
Zone - B	@ rate of 10 % for lands	@ rate of 11.50% for self-occupied residential properties and non-residential properties in whole Municipal area Zone - B

Form-F

(*See* Bye-Laws 12)

Demand and Collection Register

Financial Year for the Year……..

UPN No.	_____
ID No.	_____
Name Of Property	_____
Name of Owner/Occupier	_____
Correspondence Address	_____

Unit	Area	Net Retable Value	Property Tax Percentage	Amount of General Tax
Residential				
Let Out Residential				
Commerical				
Plot Of Land				

Genera Tax	Rebate	Total General Tax	Previous Arrear Amount	Interest	Net Amount Payable	Bill No.	Bill issue Date	Current General Tax Collection	Rebate & Remission	Arrear collection	Interest Collection	Receipt No.	Receipt Date	Current Balance Amount	Arrear Balance Amount	Credit	Remarks

_____

LABOUR EMPLOYMENT & OVERSEAS PLACEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th,March, 2026

No. LEP-A001/2/2023.—In compliance to "Rajiv Gandhi Swarozgaar Start-Up Yojana (RGSSY)-2023" as notified *vide* Notification No.B002/3/2023, dated 01-01-2024 and subsequent Notification No. A001/2/2023/RGSSY, dated 201-12-2025 of this

department, further in pursuance to Notification No. TPT-F(6)-3/2015-III, dated 09-01-2026 of Transport Department, Government of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the **Standard Operating Procedure (SOP) to release 40% subsidy amount for conversion of existing Diesel/Patrol based taxis into E-Taxis** as under:—

1. The Transport Department, after scrutiny, will share the list of selected applicant(s) to the Department of Labour, Employment & Overseas Placement.

2. The Labour, Employment & Overseas Placement Department will inform the selected applicant(s) with the direction to apply on the portal developed by the Labour Department within 15 days.

3. Once the selected applicant(s) applies on the departmental portal, the documents will be scrutinized by the concerned District Employment Officers within 7 days. If any discrepancy is found in the documents an additional 5 days will be given to the applicant(s) to correct the documents and re-submit the same.

4. The documents once found correct will be sent through the portal to the respective Bank(s) to check the loan viability in respect of the applicant(s). The resepctive Bank will have to revert/recommend the application with its comments within 2 days.

5. Once the candidate is found eligible by the Bank for Loan, the concerned District Employment Officer will send the request to the Nodal Bank for release of 40% subsidy.

6. The Nodal Bank will release the 40% subsidy into the Parking Account of the concerned Bank from which the applicant(s) has applied for the loan.

7. The Loanee Bank will transfer this 40% subsidy alongwith 50% Loan and 10% Margin Money into the Bank account of the agency/dealer from where the candidate is purchasing her/his e-taxi.

8. The maximum subsidy under this scheme would be 40% of ex-showroom price of the vehicle or Rs 8.00 lakh, whichever is lower.

9. The maximum amount up to which the beneficiaries can purchase e-taxi will not be exceed Rs 20.00 lakh.

By order,

PRIYANKA BASU INGTY,
Secretary (Lab. Emp. &O.P.).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th February, 2026

No. HHC/GAZ/14-351/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 09 days earned leave *w.e.f.* 05-03-2026 to 13-03-2026 with permission to prefix Gazetted holiday falling on 04-03-2026 in favour of Sh. Anuj Bahal, Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM, Nadaun, H.P.

Certified that Sh. Anuj Bahal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Anuj Bahal would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM, Nadaun, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th February, 2026

No. HHC/Estt.3(396)/95-I.—18 days earned leave on and *w.e.f.* 24-02-2026 to 13-03-2026, with permission to suffix second Saturday and Sunday falling on 14-03-2026 and 15-03-2026, is hereby sanctioned, in favour of Shri Khem Chand Kaushal, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Khem Chand Kaushal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Khem Chand Kaushal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th February, 2026

No.HHC/GAZ/14-236/99-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 09 days earned leave *w.e.f.* 05-03-2026 to 13-03-2026 with permission to prefix local holiday and Gazetted holiday falling on 03-03-2026 and 04-03-2026 in favour of Sh. Aman Sood, Principal Judge, Family Court, Mandi, H.P.

Certified that Sh. Aman Sood is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Sh. Aman Sood would have continued to hold the post of Principal Judge, Family Court, Mandi, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th February, 2026

No. HHC/GAZ/14-414/2021.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 09 days earned leave *w.e.f.* 05-03-2026 to 13-03-2026 with permission to prefix Gazetted holiday falling on 04-03-2026 in favour of Ms. Shubhangi Joshi, Civil Judge-*cum*-JMFC, Kangra, H.P.

Certified that Ms. Shubhangi Joshi is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Shubhangi Joshi would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC, Kangra, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th February, 2026

No. HHC/GAZ/14-415/2021.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 06 days earned leave *w.e.f.* 19-12-2025 to 24-12-2025 in favour of Ms. Tina Malhotra, Civil Judge-*cum*-JMFC (III), Hamirpur, H.P.

Certified that Ms. Tina Malhotra has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave after the expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Tina Malhotra would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*- JMFC (III), Hamirpur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th February, 2026

No. HHC/GAZ/14-409/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 04 days commuted leave *w.e.f.* 13-01-2026 to 16-01-2026 in favour of Ms. Sharuti Bansal, Civil Judge-*cum*-JMFC (VI), Shimla, H.P.

Certified that Ms. Sharuti Bansal had joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave, after the expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Sharuti Bansal would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*- JMFC (VI), Shimla, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th February, 2026

No. HHC/GAZ/14-272/03.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 07 days earned leave *w.e.f.* 03-01-2026 to 09-01-2026 with permission to suffix

Second Saturday & Sunday fell on 10-01-2026 and 11-01-2026, in favour of Sh. Hoshiar Singh Verma, Additional District and Sessions Judge-II, Mandi, H.P.

Certified that Sh. Hoshiar Singh Verma has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Hoshiar Singh Verma would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge-II, Mandi, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th February, 2026

No. HHC/GAZ/14-313/2010-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 13 days commuted leave *w.e.f.* 24-11-2025 to 07-12-2025 in favour of Ms. Divya Jyoti Patial, Sr. Civil Judge-*cum*-CJM, Solan, H.P.

Certified that Ms. Divya Jyoti Patial had joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Divya Jyoti Patial would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-*cum*-CJM, Solan, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th February, 2026

No. HHC/GAZ/14-326/2012-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 32 days earned leave *w.e.f.* 28-02-2026 to 31-03-2026 in favour of Ms. Monika Sombal Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM. Ghumarwin, H.P.

Certified that Ms. Monika Sombal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Monika Sombal would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM, Ghumarwin, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th February, 2026

No. HHC/GAZ/14-317/2010.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 12 days earned leave *w.e.f.* 24-11-2025 to 05-12-2025 with permission to prefix Sunday fell on 23-11-2025 in favour of Sh. Sandeep Singh Sihag. Sr. Civil Judge-*cum*-CJM. Shimla H.P.

Certified that Sh. Sandeep Singh Sihag had joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Sandeep Singh Sihag would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-*cum*-CJM. Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Bhattiyat at Chowari, District Chamba (H.P.)

In the matter of:-

Sh. Sham Lal s/o Sh. Amro, r/o Village Draman, P.O. Kuddi, Tehsil Bhattiyat, District Chamba (H.P.).

Versus

General Public

Proclamation for the delayed death registration under Section 13(3) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969

Whereas, an application of Sh. Sham Lal s/o Sh. Amro, r/o Village Draman, P.O. Kuddi, Tehsil Bhattiyat, District Chamba (H.P.) has been received in this office through Additional registrar (Birth & Death)-*cum*-Medical Officer of Health Chamba, Distt. Chamba (H.P.) for the delayed registration of the death of his grandfather Baihmi s/o Shivu in accordance with Section 13(3) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969.

Whereas, it has been stated in the application that said Baihmi has been expired on 18-09-1990, but the registration of his death could not be done within the prescribed period as stipulated under the Act and Rules made thereunder.

Now, therefore, in order to verify and confirm the accuracy of the information provided this proclamation is hereby issued for the general information of the public at large. Any person having any objection or relevant information with regard to the delayed registration of the aforesaid death is hereby called upon to submit the same in writing to the undersigned within 30 (thirty) days from the date of issuance of this notice.

In case no objection is received within the stipulated period, it shall be presumed that no objection exists, and the matter shall be proceeded with further in accordance with law.

Issued under my hand and seal on this.....day of March, 2026.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate, Bhattiyat At Chowari,
District Chamba (H.P.).

ब अदालत डी0सी0 राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्रीमती ठाकुर मीनाक्षी पुत्री हंस राज, निवासी गांव परजना, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश ..... वादिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा–जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म / मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती ठाकुर मीनाक्षी पुत्री हंस राज, निवासी गांव परजना, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 29–05–1985 को ग्राम पंचायत दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी। अतः ग्राम पंचायत भडेला के जन्म एवं मत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर / एतराज हो तो

उजरकर्ता दिनांक 10–04–2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना–पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 10–04–2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 10–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————

**ब अदालत डी0सी0 राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)**

सुश्री भावना पुत्री घिन्द्र सिंह, निवासी गांव सिंगा, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ..वादिया।

बनाम

आम जनता ..प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा–जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

सुश्री भावना पुत्री घिन्द्र सिंह, निवासी गांव सिंगा, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 30–09–1998 को ग्राम पंचायत सिंगाधार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सिंगाधार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सिंगाधार के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 10–04–2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकदमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना–पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 10–04–2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 10–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत डी0सी0 राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्रीमती किराड़ी पुत्री डूम, निवासी गांव भिद्रोह, परगना भान्दल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ..वादिया।

बनाम

आम जनता ..प्रतिवादी

उनवान मुकद्दमा–जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म / मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती किराड़ी पुत्री डूम, निवासी गांव भिद्रोह, परगना भान्दल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 01–07–1967 को ग्राम पंचायत सनूह, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सनूह, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सनूह के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर / एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 10–04–2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना–पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 10–04–2026 के बाद कोई भी उजर / एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 10–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत डी0सी0 राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्री दिनेश कुमार पुत्र राज कुमार, निवासी गांव खरोठी, परगना जून्ढ़, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ..वादी।

बनाम

आम जनता ..प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा–जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म / मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री दिनेश कुमार पुत्र राज कुमार, निवासी गांव खरोठी, परगना जून्ढ़, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनकी पुत्री का जन्म दिनांक 30–07–2023 को ग्राम पंचायत खरोठी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह

अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत खरोठी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका। अतः ग्राम पंचायत खरोठी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 10–04–2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना–पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 10–04–2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय नहीं होगा।

आज दिनांक 10–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्री पीयूष चौहान पुत्र श्री देस राज पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी द्रबड, डाकघर गोली, तहसील डलहौजी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र, अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि उनका सही नाम श्री पीयूष चौहान पुत्र श्री देस राज पुत्र श्री मोहन लाल है। परिवार नकल ग्राम पंचायत ओसल में सही दर्ज है, लेकिन उनकी मलकीयती भूमि मुहाल द्रबड व पटवार वृत्त भटोली में उसका नाम श्री पीयूष सिंह पुत्र श्री देस राज पुत्र श्री मोहन लाल दर्ज है, जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 16–04–2026 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 16–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्री देव राज पुत्र श्री मोहन लाल पुत्र श्री सोहणू नाथ, निवासी देवीदेहरा, डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र, अन्य कागजात सहित इस आशय के साथ गुजारा है कि उनके पिता का सही नाम श्री मोहन लाल पुत्र श्री सोहणू नाथ है। परिवार नकल ग्राम पंचायत ओसल में सही दर्ज है, लेकिन उनकी मलकीयती भूमि मुहाल सेर व पटवार वृत्त भटोली में उनका नाम श्री मोहणा पुत्र श्री सोहणू नाथ दर्ज है, जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 20–04–2026 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 22 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2026

चम्पो देवी पुत्री तेज राम, गांव चियुडा, डा0 टिक्करु, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सालवा, विकास खण्ड सलूणी .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म व मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या–HFW-B&D/CMO-CBA/2026-4446 Dated-05-03-2026

2. शपथ–पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्राप्यतता प्रमाण–पत्र

जिसमें आवेदिका चम्पो देवी पुत्री तेज राम, गांव चियुडा, डा0 टिक्करु, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका चम्पो देवी का जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 05–03–2026 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि चम्पो देवी पुत्री तेज राम, गांव चियुडा, डा0 टिक्करु, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 18–07–1983 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका चम्पो देवी पुत्री तेज राम, गांव चियुडा, डा0 टिक्करु, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, सालवा को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 25 ना0तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2026

पृथु राम पुत्र जगदेव, गांव थलोगा, डा0 मौडा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ·· वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सालवा, विकास खण्ड सलूणी ·· प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म व मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या–HFW-B&D/CMO-CBA/2026-3525 Dated-23-02-2026

2. शपथ–पत्र

3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्राप्यतता प्रमाण–पत्र

जिसमें आवेदक पृथु राम पुत्र जगदेव, गांव थलोगा, डा0 मौडा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अपने पुत्र निखिल ठाकुर की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक के पुत्र निखिल ठाकुर की जन्म तिथि दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 23–02–2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदक पृथु राम पुत्र जगदेव, गांव थलोगा, डा0 मौडा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पुत्र निखिल ठाकुर की जन्म तिथि 30–04–2022 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक पृथु राम पुत्र जगदेव, गांव थलोगा, डा0 मौडा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पुत्र की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, मौडा को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 23 ना0तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2026

गुड्डी देवी पत्नी चंद्रमणी, गांव व डाकघर भजोत्रा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ·· वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सालवा, विकास खण्ड सलूणी ·· प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म व मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या–HFW-B&D/CMO-CBA/2026-3974 Dated-26-02-2026

2. शपथ–पत्र

3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्राप्यतता प्रमाण–पत्र

जिसमें आवेदिका गुड्डी देवी पत्नी चंद्रमणी, गांव व डाकघर भजोत्रा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्रियों नामक आरती व कोमल की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका गुड्डी देवी पत्नी चंद्रमणी, गांव व डाकघर भजोत्रा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्रियों नामक आरती व कोमल की जन्म तिथि दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 26–02–2026 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदिका गुड्डी देवी पत्नी चंद्रमणी, गांव व डाकघर भजोत्रा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्रियों नामक आरती की जन्म तिथि 02–02–2010 व कोमल की जन्म तिथि 02–04–2013 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका गुड्डी देवी पत्नी चंद्रमणी, गांव व डाकघर भजोत्रा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्रियों नामक आरती व कोमल की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, भजोत्रा को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 24 ना0तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2026

रीना पत्नी गोविन्द, गांव सिंयार, डाकघर पन्ताह, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
.. वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सालवा, विकास खण्ड सलूणी .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म व मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या–HFW-B&D/CMO-CBA/2026-4657 Dated-07-03-2026

2. शपथ–पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्राप्यतता प्रमाण–पत्र

जिसमें आवेदिका रीना पत्नी गोविन्द, गांव सिंयार, डाकघर पन्ताह, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री पल्लवी की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका की पुत्री पल्लवी की जन्म तिथि दर्ज न हुई, है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट, जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 07–03–2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदिका रीना पत्नी गोविन्द, गांव सिंयार, डाकघर पन्ताह, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री पल्लवी की जन्म तिथि 16–06–2012 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका रीना पत्नी गोविन्द, गांव सिंयार, डाकघर पन्ताह, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री पल्लवी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, करवाल को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

सुनील पुत्र श्री प्रकाश चन्द, गांव शक्तिदेहरा, डा0 सिढकुंड, उप–तहसील पुखरी जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश

.. वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिढकुंड, विकास खण्ड चम्बा .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1621 / 2025 दिनांक 16–03–2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म व मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या–HFW-B&D/CMO-CBA/2026/1555 दिनांक–23-01-2026

2. शपथ–पत्र आवेदक

3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्राप्यतता प्रमाण–पत्र
5. आधार कार्ड
6. परिवार रजिस्टर नकल

जिसमें आवेदक सुनील पुत्र श्री प्रकाश चन्द, गांव शक्तिदेहरा, डा0 सिढकुंड, ग्राम पंचायत सिढकुंड, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक सुनील पुत्र श्री प्रकाश चन्द, गांव शक्तिदेहरा, डा0 सिढकुंड का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट, जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 23–01–2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सुनील पुत्र श्री प्रकाश चन्द, गांव शक्तिदेहरा, डा0 सिढकुंड, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 05–03–1984 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक सुनील पुत्र श्री प्रकाश चन्द, गांव शक्तिदेहरा, डा0 सिढकुंड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, सिढकुंड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 16–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

————————

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Bhattiyat at Chowari, District Chamba (H.P.)

In the matter of:-

Dharmo s/o Sh. Louhlu Ram, r/o Village Burja, P.O. Raipur, Tehsil Bhattiyat, District Chamba (H.P.)

Versus

General Public

Proclamation for the delayed birth registration under Section 13(3) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969.

Whereas, an application of Dharmo s/o Sh. Louhlu Ram, r/o Village Burja, P.O. Raipur, Tehsil Bhattiyat, District Chamba (H.P.) has been received in this office through Additional registrar (Birth & Death)-*cum*-Medical Officer of Health Chamba, Distt. Chamba (H.P.) for the delayed registration of his birth in accordance with Section 13(3) of the Registration of Birth and Death Act, 1969.

Whereas, it has been stated in the application that said Dharmo was born on 01-07-1945, but the registration of his birth could not be done within the prescribed period as stipulated under the Act and Rules made thereunder.

Now, therefore, in order to verify and confirm the accuracy of the information provided, this proclamation is hereby issued for the general information of the public at large. Any person having any objection for relevant information with regard to the delayed registration of the aforesaid birth is hereby called upon to submit the same in writing to the undersigned within 30 (thirty) days from the date of issuance of this notice.

In case no objection is received within the stipulated period, it shall be presumed that no objection exists, and the matter shall be proceeded with further in accordance with law.

Issued under my hand and seal on this 18th day of March, 2026.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate, Bhattiyat at Chowari,
District Chamba (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Bhattiyat at Chowari, District Chamba (H.P.)

In the matter of:-

Rani Devi d/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village Dramnala, P.O. Dhulara, Tehsil Sihunta, District Chamba (H.P.)

Versus

General Public

Proclamation for the delayed birth registration under Section 13(3) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969

Whereas, an application of Rani Devi d/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village Dramnala, P.O. Dhulara, Tehsil Sihunta, District Chamba (H.P.) has been received in this office through Additional registrar (Birth & Death)-*cum*-Medical Officer of Health Chamba, Distt. Chamba (H.P.) for the delayed registration of her birth in accordance with Section 13(3) of the Registration of Birth and Death Act, 1969.

Whereas, it has been stated in the application that said Rani Devi was born on 01-07-1964, but the registration of her birth could not be done within the prescribed period as stipulated under the Act and Rules made thereunder.

Now, therefore, in order to verify and confirm the accuracy of the information provided, this proclamation is hereby issued for the general information of the public at large. Any person

having any objection for relevant information with regard to the delayed registration of the aforesaid birth is hereby called upon to submit the same in writing to the undersigned within 30 (thirty) days from the date of issuance of this notice.

In case no objection is received within the stipulated period, it shall be presumed that no objection exists, and the matter shall be proceeded with further in accordance with law.

Issued under my hand and seal on this 18th day of March, 2026.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate, Bhattiyat at Chowari,
District Chamba (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Bhattiyat at Chowari, District Chamba (H.P.)

In the matter of:-

Shrishta Devi d/o Sh. Rattan Singh, r/o Village Saloh, P.O. Jatroon, Tehsil Bhattiyat, District Chamba (H.P.)

Versus

General Public

Proclamation for the delayed birth registration under Section 13(3) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969

Whereas, an application of Shrishta Devi d/o Sh. Rattan Singh, r/o Village Saloh, P.O. Jatroon, Tehsil Bhattiyat, District Chamba (H.P.) has been received in this office through Additional registrar (Birth & Death)-*cum*-Medical Officer of Health Chamba, Distt. Chamba (H.P.) for the delayed registration of her birth in accordance with Section 13(3) of the Registration of Birth and Death Act, 1969.

Whereas, it has been stated in the application that Shrishta Devi was born on 22-11-1963, but the registration of her birth could not be done within the prescribed period as stipulated under the Act and Rules made thereunder.

Now, therefore, in order to verify and confirm the accuracy of the information provided, this proclamation is hereby issued for the general information of the public at large. Any person having any objection for relevant information with regard to the delayed registration of the aforesaid birth is hereby called upon to submit the same in writing to the undersigned within 30 (thirty) days from the date of issuance of this notice.

In case no objection is received within the stipulated period, it shall be presumed that no objection exists, and the matter shall be proceeded with further in accordance with law.

Issued under my hand and seal on this 18th day of March, 2026.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate, Bhattiyat at Chowari,
District Chamba (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

ओमपाल सिंह मेहता

बनाम

आम जनता

नोटिस (मुस्त्री–मुनादी) बनाम आम जनता।

ब मुकद्दमा उपरोक्त अदालत हजा में ओमपाल सिंह मेहता पुत्र श्री लच्छमी चन्द पुत्र श्यामा, निवासी महाल उपरला बढ़ूंह, डाकघर नैहरनपुखर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अपने नाम की दुरुस्ती की दरख्वास्त दायर कर रखी है। इसलिए समस्त आम जनता को इस मुस्त्री–मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी ओमपाल सिंह मेहता पुत्र श्री लच्छमी का नाम महाल उपराला बढ़ूहं, तहसील देहरा के राजस्व अभिलेख में ओम प्रकाश की बजाए ओम प्रकाश उपनाम ओमपाल सिंह मेहता किया जाये तो इस बारे यदि किसी को आपत्ति हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर / एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपित्त के न होने की स्थिति में या उपरोक्त समय सीमा के भीतर आम जनता की तरफ से कोई भी उजर / एतराज हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार उपरोक्त मुकद्दमा में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और प्रार्थी की प्रार्थना को स्वीकार किया जायेगा।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

अंजना देवी

बनाम

आम जनता

नोटिस (मुस्त्री–मुनादी) बनाम आम जनता।

ब मुकद्दमा उपरोक्त अदालत हजा में प्रार्थिया श्रीमती अंजना देवी पुत्री स्व0 श्री राम सिंह पुत्र सोहणू, महाल जखूणी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अपने नाम की दुरुस्ती की दरख्वास्त दायर कर रखी है। इसलिए समस्त आम जनता को इस मुस्त्री–मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया अंजना देवी का नाम महाल उपरला जखूणी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व अभिलेख में अंजना देवी की बजाये अंजना देवी उपनाम सीमा कश्यप किया जाये तो इस बारे यदि किसी को आपत्ति हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर / एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति के न होने की स्थिति में या उपरोक्त समय सीमा के भीतर आम जनता की तरफ से कोई भी उजर / एतराज हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार उपरोक्त मुकद्दमा में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जायेगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

कुलविन्द्र कौर

बनाम

आम जनता

नोटिस (मुस्त्री–मुनादी) बनाम आम जनता।

ब मुकद्दमा उपरोक्त अदालत हजा में प्रार्थिया श्रीमती कुलविन्द्र कौर पुत्री श्री मोहन लाल पुत्र जैकर्ण, महाल स्वारू, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 हाल पत्नी अमरीक सिंह, निवासी सैक्टर 90, मोहाली (पंजाब) ने इस अदालत में अपने नाम की दुरुस्ती की दरख्वास्त दायर कर रखी है। इसलिए समस्त आम जनता को इस मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया कुलविन्द्र कौर का नाम महाल सवारू, तहसील देहरा के राजस्व अभिलेख में ऊषा देवी पुत्री श्री मोहन लाल की बजाये ऊषा देवी उपनाम कुलविन्द्र कौर पुत्री श्री मोहन लाल किया जाये तो इस बारे यदि किसी को आपत्ति हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर / एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति के न होने की स्थिति में या उपरोक्त समय सीमा के भीतर आम जनता की तरफ से कोई भी उजर / एतराज हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार उपरोक्त मुकद्दमा में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जायेगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा जगदीश चन्द पुत्र श्री राम सरन, वासी महाल हरड़, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवम् मृत्यु तिथि अधिनियम, 1966.

जगदीश चन्द पुत्र राम सरन, वासी महाल हरड़, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा ने अपनी जन्म तिथि जो कि दिनांक 02–09–1974 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जो कि जेरे समायत है। इनकी माता का नाम सावित्री देवी है। यदि उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर / एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति के न होने की स्थिति में प्रार्थी की प्रार्थना को स्वीकार किया जायेगा।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 07 / 2022 किस्म मुकद्दमा : जन्म / मृत्यु पंजीकरण
तारीख दायर : 02–07–2022 तारीख फैसला :

मुकद्दमा शीर्षक : श्री रमेश कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव व डाकघर सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी।

विषय.–जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री रमेश कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव व डाकघर सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी माता श्रीमती सेवा जिन की मृत्यु तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सापनी के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाई है, अब वादी उपरोक्त मृत्यु तिथि 04–11–2021 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती सेवा जिन की मृत्यु तिथि 04–11–2021 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 18–04–2026 को अपना

उजर / एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 18–03–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 07 / 2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म / मृत्यु पंजीकरण
तारीख दायर : 10–07–2025 तारीख फैसला :

मुकद्दमा शीर्षक : श्रीमती बबीता पुत्री श्री गुमान सुख, निवासी गांव व डाकघर रकछम, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . .वादिया।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी।

विषय.–जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती बबीता पुत्री श्री गुमान सुख, निवासी गांव व डाकघर रकछम, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि स्वयं बबीता की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत रकछम के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादिया उपरोक्त जन्म 28–03–1970 का इन्द्राज ग्राम पंचायत रकछम के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती बबीता पुत्री श्री गुमान सुख की जन्म तिथि 28–03–1970 का पंजीकरण ग्राम पंचायत रकछम के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 18–04–2026 को अपना उजर / एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 18–03–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 01 / 2021 किस्म मुकद्दमा : हुकमन तकसीम
तारीख दायर : 14–01–2021

श्री सुख चन्द पुत्र स्व0 श्री दिल सुख, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। . .वादी।

बनाम

1. श्री चमन लाल पुत्र श्री सुख चन्द,
2. श्री प्रविन्द्र पुत्र श्री सुख चन्द,
3. श्री रयुग लाल पुत्र श्री चरण दास,
4. श्री योगिन्द्र पुत्र श्री आनंद,
5. श्री प्रेम पुत्र स्व0 श्री दिल सुख,
6. श्री चरण दास पुत्र स्व0 श्री दिल सुख, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
7. श्री भगत पुत्र स्व0 श्री दिल सुख,
8. श्री आनंद पुत्र स्व0 श्री दिल सुख, निवासी गांव रोणा, तहसील परौला, जिला उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड। . .प्रतिवादीगण।

दरख्वास्त हुकमन तकसीम जेर धारा भूमि 123 हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम 1954 बावत अराजी खाता खतौनी नं0 250 / 422, 423 खसरा नं0 1351, 1352, 1355, 1356, 734 कित्ता–5 रकबा तादादी 01–09–73 है0 वाका उप महाल सांगला कण्डा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

उपरोक्त वादी श्री सुख चन्द ने भूमि खाता खतौनी नं0 250 / 422, 423 खसरा नं0 1351, 1352, 1355, 1356, 734 कित्ता–5 रकबा तादादी 01–09–73 है0 वाका उप महाल सांगला कण्डा की तकसीम हेतु आवेदन किया है। जिसकी तकसीम मौका गिरदावर कानूनगो व पटवारी सांगला द्वारा कर दी गई है और कागजात तकसीम भी इस कार्यालय में प्राप्त हो चुके है।

उक्त दावा तकसीम में प्रतिवादी नं0 7 श्री भगत व प्रतिवादी नं0 8 श्री आनंद पुत्रगण स्व0 श्री दिलसुख को बार–बार समन जारी करने के पश्चात् भी तामील नहीं हो रही है। अब इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो गया है कि उनको साधारण ढंग से तामील नहीं हो सकती है।

अतः इस इश्तहार / नोटिस द्वारा प्रतिवादी नं0 7 श्री भगत व प्रतिवादी नं0 8 श्री आंनद को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 31–03–2026 को प्रातः 10.00 बजे इस अदसलत में असालतन / वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करे। गैरहाजिर की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी तथा नक्शा 'ज' के आधार पर तकसीम को स्वीकार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 27–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला,जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 25/2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण
तारीख दायर : 16–06–2025 तारीख फैसला :

मुकद्दमा शीर्षक : श्री गंगा सागर पुत्र स्व0 श्री वांगज्ञाल, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। . .वादी।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी।

विषय.–जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री गंगा सागर पुत्र श्री वांगज्ञल, निवासी गांव व डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि स्वयं गंगा सागर की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सांगला के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादी उपरोक्त जन्म 01–07–1957 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री गंगा सागर पुत्र स्व0 श्री वांगज्ञाल की जन्म तिथि 01–07–1957 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 31–03–2026 को अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 27–02–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 26/2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण
तारीख दायर : 10–07–2025 तारीख फैसला :

मुकद्दमा शीर्षक : श्रीमती प्यार मनी पुत्री श्री चतर सुख, निवासी गांव व डाकघर छितकुल, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। . .वादिया।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी।

विषय.–जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती प्यार मनी पुत्री श्री चतर सुख, निवासी गांव व डाकघर छितकुल, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि स्वयं प्यार मनी की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत छितकुल के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादिया उपरोक्त जन्म 16–10–1981 का इन्द्राज ग्राम पंचायत छितकुल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती प्यार मनी पुत्री श्री चतर सुख की जन्म तिथि 16–10–1981 का पंजीकरण ग्राम पंचायत छितकुल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 31–03–2026 को अपना उजर / एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 27–02–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 06 / 2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म / मृत्यु पंजीकरण
तारीख दायर : 10–07–2025 तारीख फैसला :

मुकद्दमा शीर्षक : श्रीमती गुलाब देवी पुत्री श्री जलेब सुख, निवासी गांव व डाकघर सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। . .वादिया।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी।

विषय.–जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती गुलाब देवी पुत्री श्री जलेब सुख, निवासी गांव व डाकघर सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि स्वयं गुलाब देवी की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सापनी के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादिया उपरोक्त जन्म 13–07–1970 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती गुलाब देवी पुत्री श्री जलेब सुख की जन्म तिथि 13–07–1970 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 18–04–2026 को अपना उजर / एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी

उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 18–03–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला, तहसील सांगला,जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 26 / 2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म / मृत्यु पंजीकरण
तारीख दायर : 02–01–2026 तारीख फैसला :

मुकद्दमा शीर्षक : श्रीमती सुर्दशन देवी पुत्री स्व0 श्री अमीर सिंह, निवासी गांव व डाकघर कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। . .वादिया।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी।

विषय.–जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती सुर्दशन देवी पुत्री स्व0 श्री अमीर सिंह, निवासी गांव व डाकघर कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती सुर्दशन देवी की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत कामरू के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 11–09–1956 का इन्द्राज ग्राम कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुर्दशन देवी पुत्री स्व0 श्री अमीर सिंह की जन्म तिथि 11–09–1956 का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 31–03–2026 को अपना उजर / एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 27–02–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला,जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 21 / 2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म / मृत्यु पंजीकरण
तारीख दायर : 13–11–2025 तारीख फैसला :

मुकद्दमा शीर्षक : श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्री स्व0 श्री गुरू लाल, निवासी गांव व डाकघर चांसू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। . .वादिया।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी।

विषय.–जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्री स्व0 श्री गुरू लाल, निवासी गांव व डाकघर चांसू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती सुमित्रा देवी की जन्म तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत चांसू के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 20–08–1966 का इन्द्राज ग्राम पंचायत चांसू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि सुमित्रा देवी पुत्री स्व0 श्री गुरू लाल की जन्म तिथि 20–08–1966 का पंजीकरण ग्राम पंचायत चांसू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 31–03–2026 को अपना उजर / एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 27–02–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला,जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 27 / 2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म / मृत्यु पंजीकरण
तारीख दायर : 13–11–2025 तारीख फैसला :

मुकद्दमा शीर्षक : श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्री मदन सुख, निवासी गांव व डाकघर शौंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। . .वादिया।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्री मदन सुख, निवासी गांव व डाकघर शौंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती कृष्णा देवी की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत शौंग के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 19–06–1964 का इन्द्राज ग्राम शौंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि कृष्णा देवी पुत्री श्री मदन सुख की जन्म तिथि 19–06–1964 व नाम का पंजीकरण ग्राम पंचायत शौंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 31–03–2026 को अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 27–02–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सांगला,जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 09/2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण
तारीख दायर : 13–11–2025 तारीख फैसला :

मुकद्दमा शीर्षक : श्रीमती दौलत पती पुत्री श्री राम लोच, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। . .वादिया।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती दौलत पती पुत्री श्री राम लोच, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती दौलत पती की जन्म तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत ब्रुआ के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 16–12–1951 का इन्द्राज ग्राम ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि दौलत पती पुत्री श्री राम लोच की जन्म तिथि 16–12–1951 का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 31–03–2026 को अपना

उजर / एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 27–02–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Manali,**
District Kullu (H.P.)

1. Kamal Kant s/o Sh. Ridku Ram, r/o Village Goshal, P.O. Bahang, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).

2. Leela Devi d/o Sh. Pune Ram, r/o Village Sidhma, P.O. and Tehsil Banjar, Distt. Kullu (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Regarding Registration of Marriage u/s 8(4) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1969.

Kamal Kant s/o Sh. Ridku Ram, r/o Village Goshal, P.O. Bahang, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) and Leela Devi d/o Sh. Pune Ram, r/o Village Sidhma, P.O. and Tehsil Banjar, Distt. Kullu (H.P.) have submitted an application alongwith affidavits before the undersigned, declaring that they solemnized their marriage on 06-02-2007.

However, the said marriage is not found recorded in the official registers of the marriage Registrar, concerned Municipal Council/Gram Panchayat in Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

Accordingly, objections are hereby invited from the general public through this notice. If any person has any objection to the registration of the above-mentioned marriage, they may submit the same personally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the date of publication of this notice.

Issued under my hand and seal of the court today on 16th March, 2026.

Sd/-
Seal. (RAMAN KUMAR SHARMA),
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Manali, District Kullu (H.P.).

ब अदालत श्री अंकित शर्मा सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

उनवान मुकद्दमा :

श्री खेम चन्द पुत्र श्री हीरा, निवासी गांव घोरी, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना–पत्र बराये कागजात माल में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने बारे।

श्री खेम चन्द पुत्र श्री हीरा, निवासी गांव घोरी, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर, पेन कार्ड आदि दस्तावेजों में खेम चन्द दर्ज है, जोकि सही है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कनैड के मुहाल डुगराई में खीमा दर्ज है। प्रार्थी उपरोक्त राजस्व अभिलेख वाक्या मुहाल डुगराई में अपने नाम की दुरुस्ती करवाकर खीमा उपनाम खेम चन्द करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दुरुस्ती के बारे में कोई भी उजर/एतराज हो तो दिनांक 31–03–2026 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। उपरोक्त तिथि के पश्चात किसी भी व्यक्ति का कोई एतराज काबिले समायत न होगा व नाम दुरुस्ती के बारे में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री अंकित शर्मा सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

उनवान मुकद्दमा :

श्री रवि गौतम पुत्र श्री राज कुमार, निवासी गांव मैहली, डाकघर जयदेवी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना–पत्र बराये कागजात माल में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने बारे।

श्री रवि गौतम पुत्र श्री राज कुमार, निवासी गांव मैहली, डाकघर जयदेवी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर, स्कूल प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों में रवि कुमार दर्ज है, जोकि सही है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त

पवराओ के मुहाल मैहली में रवि कुमार दर्ज है। प्रार्थी उपरोक्त राजस्व अभिलेख वाक्या मुहाल मैहली में अपने नाम की दुरुस्ती करवाकर रवि कुमार उपनाम रवि गौतम करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दुरुस्ती के बारे में कोई भी उजर / एतराज हो तो दिनांक 31–03–2026 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। उपरोक्त तिथि के पश्चात किसी भी व्यक्ति का कोई एतराज काबिले समायत न होगा व नाम दुरुस्ती के बारे में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री अंकित शर्मा सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

उनवान मुकद्दमा :

विद्या देवी पुत्री श्री लेख राम हाल पत्नी किरण कुमार, निवासी गांव घियूणधार, डाकघर खखरयाणा, तहसील रिवालसर, जिला मण्डी (हि0प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना–पत्र बराये कागजात माल में प्रार्थिया के नाम को दुरुस्त करने बारे।

विद्या देवी पुत्री श्री लेख राम हाल पत्नी किरण कुमार, निवासी गांव घियूणधार, डाकघर खखरयाणा, तहसील रिवालसर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया का नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर, स्कूल प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों में विद्या देवी दर्ज है, जोकि सही है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त मलोह के मुहाल भदरोलू में कुमारी बबीता दर्ज है। प्रार्थिया उपरोक्त राजस्व अभिलेख वाक्या मुहाल भदरोलू में अपने नाम की दुरुस्ती करवाकर कुमारी बबीता उपनाम विद्या देवी करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दुरुस्ती के बारे में कोई भी उजर / एतराज हो तो दिनांक 31–03–2026 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। उपरोक्त तिथि के पश्चात किसी भी व्यक्ति का कोई एतराज काबिले समायत न होगा व नाम दुरुस्ती के बारे में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अंकित शर्मा सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

उनवान मुकद्दमा :

श्री बेली राम पुत्र श्री मनी राम, निवासी गांव छातर, डाकघर जुगाहण, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना–पत्र बराये कागजात माल में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने बारे।

श्री बेली राम पुत्र श्री मनी राम, निवासी गांव छातर, डाकघर जुगाहण, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के पिता का नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर, स्कूल प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों में मनी राम दर्ज है, जोकि सही है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त छातर के मुहाल छातर में मनिया दर्ज है। प्रार्थी उपरोक्त राजस्व अभिलेख वाक्या मुहाल छातर में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करवाकर मनिया उपनाम मनी राम करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दुरुस्ती के बारे में कोई भी उजर / एतराज हो तो दिनांक 31–03–2026 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। उपरोक्त तिथि के पश्चात किसी भी व्यक्ति का कोई एतराज काबिले समायत न होगा व नाम दुरुस्ती के बारे में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री आदित्या गुलेरिया, नायब तहसीलदार, एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुन्दरनगर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 66 / 2025 किस्म मुकद्दमा :तकसीम हुकमन तारीख पेशी : 19–04–2026

शीर्षक : मास्टर रियांश गौतम बनाम संजय कुमार आदि।

नोटिस बनाम प्रतिवादी : 1. संजय कुमार पुत्र श्री शिवू पुत्र श्री मधूसूदन, निवासी गांव हंडेती, (Handeti) Opposite Sheetla Gas Agency,डा0घ0 पुराना बाजार, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

उनवान मुकद्दमा.––तकसीम भूमि खाता / खतौनी 236 / 286, खसरा नम्बर 584, रकबा तादादी 02–08–0बीघा स्थित मुहाल छात्र / 2, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

इश्तहार / मुश्त्री–मुनादी

उपरोक्त तकसीम मुकद्दमा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में विचारधीन हैं। इसमें प्रतिवादी का सही पता उपलब्ध न होने के कारण साधारण तरीके से समन तामील कर पाना सम्भव नही हो पा रहा है। अतः उपरोक्त प्रतिवादी को इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर उसे इस तकसीम बारा उनका कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 19–04–2026 को असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा मामले में नियामानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

आज दिनांक 09–03–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural), District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

1. Nishant Thapa s/o Sh. Narinder Singh Thapa, r/o Thapa Niwas, P.O. Ghanahatti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh age 34 years.

2. Archana Negi d/o Sh. Tejasvi Chander Prakash, r/o Indir Prastha Cottage, Village Deochi, mehli (113), P.O. Kasumpti, District Shimla, Himachal Pradesh age 33 years.

Versus

General Public

Subject.—Notice to intended marriage under section 5 of the Special Marriage Act, 1954.

Nishant Thapa s/o Sh. Narinder Singh Thapa, r/o Thapa Niwas, P.O. Ghanahatti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh and Archana Negi d/o Sh. Tejasvi Chander Prakash, r/o Indir Prastha Cottage, Village Deochi, mehli (113), P.O. Kasumpti, District Shimla, Himachal Pradesh have filed an application in the court of the undersigned under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 and have intended to get married within three calendar months from the date thereof.

Therefore, the General Public is hereby infromed through this notice, that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection regarding this marriage, can file the objections personally or in writing before this court on or before 18-04-2026 after that no objection will be entertained and marriage will be solemnized/registered.

Issued today on 18th March, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Shimla (Rural) District Shimla (H.P.).

समक्ष सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सरस्वती नगर, उप–तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती शुक्ला देवी पुत्री स्व0 श्री अन्नत राम हाल पत्नी स्व0 श्री अनील कुमार, निवासी गांव चन्द्रपूर, डा0 हाटकोटी, उप–तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0)। .. वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(2 / 3) जन्म / मृत्यु दर्ज कराने बारे।

श्रीमती शुक्ला देवी पुत्री स्व0 श्री अन्नत राम हाल पत्नी स्व0 श्री अनील कुमार, निवासी गांव चन्द्रपूर, डा0 हाटकोठी, उप–तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उसका नाम शुक्ला देवी पुत्री स्व0 श्री अन्नत राम है का जन्म ग्राम चन्द्रपूर, डा0 हाटकोटी, उप–तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0) में दिनांक 23–12–1970 को हुआ है जो अज्ञानतावश / घरेलू समस्याओं के कारण अभी तक सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज होना नहीं पाया गया। अतः आवेदिका अब ग्राम पंचायत सरस्वती नगर के अभिलेख में उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति या आम जनता को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17–04–2026 तक प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय / न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति जाहिर कर सकता है। दीगर सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर एवम् मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

समक्ष सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सरस्वती नगर, उप–तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती मिसी पुत्री श्री मोती राम, निवासी गांव व डा0 झगटान, उप–तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0)। .. वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(2 / 3) जन्म / मृत्यु दर्ज कराने बारे।

श्रीमती मिसी पुत्री श्री मोती राम, निवासी गांव व डा0 झगटान, उप–तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उसका नाम मिसी पुत्री मोती राम है का जन्म ग्राम व डा0 झगटान, उप–तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0) में दिनांक 20–11–1961 को हुआ है जो अज्ञानतावश / घरेलू समस्याओं के कारण अभी तक सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज होना नहीं

पाया गया। अतः आवेदिका अब ग्राम पंचायत झगटान के अभिलेख में उपरोक्त तिथि व जन्म को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति या आम जनता को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17–04–2026 तक प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय / न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति जाहिर कर सकता है। दीगर सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर एवम् मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

समक्ष सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सरस्वती नगर, उप–तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

गोपी पुत्री मईचा, निवासी गांव घुडमू, डा0 अन्टी, उप–तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0)। .. वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(2 / 3) जन्म / मृत्यु दर्ज कराने बारे।

गोपी पुत्री मईचा, निवासी गांव घुडमू, डा0 अन्टी, उप–तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उसका नाम गोपी पुत्री मईचा है का जन्म ग्राम घुडमू, डा0 अन्टी, उप–तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0) में दिनांक 01–07–1974 को हुआ है जो अज्ञानतावश / घरेलू समस्याओं के कारण अभी तक सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज होना नहीं पाया गया। अतः आवेदिका अब ग्राम पंचायत अन्टी के अभिलेख में उपरोक्त तिथि व जन्म को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति या आम जनता को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17–04–2026 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय / न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति जाहिर कर सकता है। दीगर सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर एवम् मोहर कार्यालय न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

In the Court of the Executive Magistrate-cum-**Naib Tehsildar, Kupvi, Tehsil Kupvi, District Shimla (H. P.)**

In the matter of:

Sh. Bhoop Singh s/o Shri Jhata, r/o Village & P.O. Dhar-Chandna, Tehsil Kupvi, District Shimla, Himachal Pradesh. . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Proclamation Regarding Correction of Name and Date of Birth.

Whereas Sh. Bhoop Singh s/o Shri Jhata, r/o Village & P.O. Dhar-Chandna, Tehsil Kupvi, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith an affidavit before this court. The applicant has stated that the name and date of birth of applicant son have been incorrectly recorded in his Aadhar Card. However, as per the birth certificate and panchayat records their correct name is recorded. The detail of son & daughter are as under:—

Sl. No.	Name of the family member	Relationship with applicant	Wrong Name & Date of birth	Correct Name & Date of birth
1.	HARYANSH	SON	RIYANSH 03-03-2019	HARYANSH 23-03-2019

In accordance with the Birth Certificate issued by the Sub-Registrar (Births & Death), Gram Panchayat Dhar-Chandna, Tehsil Kupvi, District Shimla, Himachal Pradesh.

Now, therefore, objections , if any, are invited from the general public with regard to the correcction of the name and date of birth of the applicants son.

Any person having any objection in this regard may appear before the undersigned on or before 16-04-2026 either personally or through a duly authorized agent or counsel. In case no objection is received within the stipulated period the matter shall be decided *ex-parte* without any further opportunity of hearing and the correction shall be carried out accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today, the 16th day of March, 2026.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate-cum-*Naib Tehsildar, Kupvi, Tehsil Kupvi, District Shimla (H. P.).*

ब अदालत श्री विपिन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं0 :	किस्म मुकद्दमाः	तारीख दायरः	तारीख पेशीः
11/Marriage/T/U/2026	विवाह पंजीकरण	28—01—2026	07—04—2026

1. श्री गुरतेज सिंह पुत्र अवतार सिंह, निवासी गांव देहलां, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0।

2. हरविन्द्र कौर पुत्री सुखदेव सिंह, वासी गढी मन्सोवाल, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर पंजाब–144 523.

बनाम

आम जनता

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी''।

प्रार्थना–पत्र शादी श्री गुरतेज सिंह पुत्र अवतार सिंह, निवासी गांव देहलां, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 ने बाबत दिए जाने आदेश शादी पंजीकरणे इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उनकी शादी सिख रीति–रिवाज़ के अनुसार दिनांक 11–05–2025 को हरविन्द्र कौर पुत्री सुखदेव सिंह, वासी गढी मन्सोवाल, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर पंजाब–144 523 से हुई है, परन्तु यह शादी सहबन गलती के कारण ग्राम पंचायत देहलां, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है, उन्होंने इस शादी को ग्राम पंचायत देहलां में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना–पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 07–04–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत देहलां, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 को दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर / एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 20–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमाः	तारीख दायरः	तारीख पेशीः
08/Corr./T/U/2026	नाम दुरुस्ती	20–12–2025	07–04–2026

श्रीमती वीना कुमारी पुत्री सुखदेव चंद, निवासी गांव भलोला, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) हाल पत्नी बलबीर चंद, निवासी खड्ड, उप तहसील ईसपुर, जिला ऊना (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी''।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती वीना कुमारी पुत्री सुखदेव चंद, निवासी गांव भलोला, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) हाल पत्नी बलबीर चंद, निवासी खड्ड, उप तहसील ईसपुर, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसकी पुश्तैनी भूमि राजस्व अभिलेख खेवट नं0 138, खतौनी नं0 250, खसरा नं0 989 स्थित उपमहाल भलोला, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) जमाबंदी वर्ष 2022–2023 में उसका नाम वीना कुमारी की बजाए सोमा देवी गलत दर्ज चला आ रहा है, जबकि उसका सही नाम मुताबिक स्कूल प्रमाण–पत्र व आधार कार्ड में वीना कुमारी पुत्री सुखदेव चंद दर्ज है, लिहाजा उपरोक्त राजस्व अभिलेख में उसका नाम सोमा देवी पुत्री सुखदेव की बजाए वीना कुमारी पुत्री सुखदेव चंद दुरुस्त दर्ज किया जाए। प्रार्थिया का स्कूल प्रमाण–पत्र, शपथ–पत्र, पैन कार्ड व प्रधान ग्राम पंचायत पनोह का प्रमाण–पत्र आदि कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः इस नोटिस ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी 07–04–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश सम्बन्धित हल्का कर्मचारियों को जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज या आपत्ति मान्य न होगी।

आज दिनांक 20–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमाः	तारीख दायरः	तारीख पेशीः
707526/2026	नाम दुरुस्ती	16–02–2026	07–04–2026

श्री मदन लाल पुत्र हरी राम, निवासी गांव बटूही, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी''।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री मदन लाल पुत्र हरी राम, निवासी गांव बटूही, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसकी पुश्तैनी भूमि राजस्व अभिलेख खेवट नं0 166, खतौनी नं0 249, खसरा नं0 2817 स्थित उप–महाल भलोह, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) जमाबंदी वर्ष 2021–2022 में उसका नाम मदन लाल की बजाए हुसन लाल गलत दर्ज चला आ रहा है, जबकि राजस्व अभिलेख खेवट नं0 172, खतौनी नं0 252, खसरा नं0 कित्ता–6 स्थित मोहाल बटूही, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) जमाबंदी वर्ष 2020–2021 में उसका नाम मदन लाल पुत्र हरिया पुत्र धुन्धी दर्ज है,

मुताबिक स्कूल प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड व पासपोर्ट में मेरा सही नाम मदन लाल पुत्र हरी राम पुत्र धुन्धी सही दर्ज है, लिहाजा उपरोक्त राजस्व अभिलेख में उसका नाम हुसन लाल पुत्र हरिया राम पुत्र धुन्धी की बजाए श्री मदन लाल पुत्र हरी राम पुत्र धुन्धी दुरुस्त दर्ज किया जाए। प्रार्थी का स्कूल प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड, शपथ–पत्र व प्रधान ग्राम पंचायत बटूही का प्रमाण–पत्र आदि कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः इस नोटिस ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी 07–04–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश सम्बन्धित हल्का कर्मचारियों को जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज या आपत्ति मान्य न होगी।

आज दिनांक 20–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

———

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमाः	तारीख दायरः	तारीख पेशीः
707534/2026	नाम दुरुस्ती	28–01–2026	07–04–2026

श्री कुशल कुमार पुत्र रतन चंद पुत्र भगवाना, निवासी गांव बसाल, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ..वादी।

बनाम

आम जनता ..प्रतिवादी।

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी''।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री कुशल कुमार पुत्र रतन चंद पुत्र भगवाना, निवासी गांव बसाल, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि राजस्व अभिलेख खेवट नं0 159, खतौनी नं0 215, खसरा नं0 कित्ता–10 स्थित उप–मोहाल बसाल, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) जमाबंदी वर्ष 2023–2024 में उसका नाम कुशल कुमार की बजाए बलवंत गलत दर्ज चला आ रहा है, जबकि मुताबिक स्कूल प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड व पैन कार्ड में उसका सही नाम कुशल कुमार पुत्र रतन चंद सही दर्ज है, लिहाजा उपरोक्त राजस्व अभिलेख में उसका नाम बलवंत पुत्र रतन चंद पुत्र भगवान की बजाए कुशल कुमार पुत्र रतन चंद पुत्र भगवाना दुरुस्त दर्ज किया जाए। प्रार्थी का स्कूल प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, शपथ–पत्र आदि कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः नोटिस ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी 07–04–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर

सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश सम्बन्धित हल्का कर्मचारियों को जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज या आपत्ति मान्य न होगी।

आज दिनांक 20–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा:	तारीख दायर:	तारीख पेशी:
17/Corr./T/U/2026	नाम दुरुस्ती	21–09–2023	07–04–2026

श्रीमती शंकुतला देवी विध्वा सगली राम पुत्र गूंगा उपनाम गंगा राम, निवासी कुंगड़त, तहसील हरोली जिला ऊना (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी''।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती शंकुतला देवी विध्वा सगली राम पुत्र गूंगा उपनाम गंगा राम, निवासी कुंगड़त, तहसील हरोली जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि राजस्व अभिलेख खेवट नं0 525, 526 स्थित महाल जनकौर खास, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) जमाबंदी वर्ष 2016–2017 में उसके ससुर का नाम गूंगा उपनाम गंगा राम की बजाए गौन्दा उपनाम गंगा राम गलत दर्ज चला आ रहा है, जबकि महाल व मौजा कुंगड़त, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) में मुताबिक इंतकाल नं0 722 वरास्त दिनांक 30–08–2022 में उसका नाम गूंगा उपनाम गंगा राम पुत्र चंदू सही दर्ज है, लिहाजा उपरोक्त राजस्व अभिलेख में उसके ससुर का नाम गौन्दा उपनाम गंगा राम की बजाए गूंगा उपनाम गंगा राम पुत्र चंदू दुरुस्त दर्ज किया जाए। प्रार्थिया का शपथ–पत्र, आधार कार्ड, प्रधान ग्राम पंचायत कुंगड़त, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र व नकल इंतकाल नं0 722 वरास्त दिनांक 30–08–2022 मौजा कुंगड़त, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) की छायाप्रति आदि कागजात मिसल साथ सलंग्न हैं।

अतः नोटिस ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी 07–04–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश सम्बन्धित हल्का कर्मचारियों को जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज या आपत्ति मान्य न होगी।

आज दिनांक 20–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमाः	तारीख दायरः	तारीख पेशीः
18/Corr./T/U/2026	नाम दुरुस्ती	21–09–2023	07–04–2026

श्रीमती शंकुतला देवी विध्वा सगली राम पुत्र गूंगा उपनाम गंगा राम, निवासी कुंगड़त, तहसील हरोली जिला ऊना (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी''।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती शंकुतला देवी विध्वा सगली राम पुत्र गूंगा उपनाम गंगा राम, निवासी कुंगड़त, तहसील हरोली जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि राजस्व अभिलेख खेवट नं0 253, , खतौनी नं0 362, खसरा नं0 कित्ता–2 स्थित महाल अबादा बराना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) जमाबंदी वर्ष 2018–2019 में उसके ससुर का नाम गूंगा उपनाम गंगा राम की बजाए बांका उपनाम गंगू राम पुत्र चंदू राम गलत दर्ज चला आ रहा है, जबकि महाल व मौजा कुंगड़त, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) में मुताबिक इंतकाल नं0 722 वरास्त दिनांक 30–08–2022 में नाम गूंगा उपनाम गंगा राम पुत्र चंदू सही दर्ज है, लिहाजा उपरोक्त राजस्व अभिलेख में उसके ससुर का उसका नाम गौन्दा उपनाम गंगा राम की बजाए गूंगा उपनाम गंगा राम पुत्र चंदू दुरुस्त दर्ज किया जाए। प्रार्थिया का शपथ–पत्र, आधार कार्ड, प्रधान ग्राम पंचायत कुंगड़त, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र व नकल इंतकाल नं0 722 वरास्त दिनांक 30–08–2022 मौजा कुंगड़त, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) की छायाप्रति आदि कागजात मिसल साथ सलंग्न हैं।

अतः इस नोटिस ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी 07–04–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश सम्बन्धित हल्का कर्मचारियों को जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज या आपत्ति मान्य न होगी।

आज दिनांक 20–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील एवं जिला ऊना, (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख दायरः	तारीख फैसलाः
16 / Corr./T/U/2026	नाम दुरुस्ती		22–01–2026
07–04–2026			

श्रीमती वन्दना रानी पत्नी प्रदीप कुमार पुत्र जनक राज, निवासी कोटला खुर्द, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ..वादिया।

बनाम

आम जनता ..प्रतिवादी।

इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पानगी।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती वन्दना रानी पत्नी प्रदीप कुमार पुत्र जनक राज, निवासी कोटला खुर्द, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि राजपत्र अभिलेख खेवट नं0 309, 312, 314 स्थित महाल कोटला खुर्द, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) जमाबंदी वर्ष 2024–2025 में उसका नाम वन्दना रानी की बजाए वन्दना कुमारी गल्त दर्ज चला आ रहा है, जबकि उसका सही नाम मुताबिक आधार कार्ड में वन्दना रानी पत्नी प्रदीप कुमार दर्ज है, लिहाजा उपरोक्त राजस्व अभिलेख में उसका नाम वन्दना रानी पत्नी प्रदीप कुमार पुत्र जनक राज की बजाए वन्दना रानी पत्नी प्रदीप कुमार पुत्र जनक राज दुरुस्त दर्ज किया जाए, प्रार्थिया का शपथ–पत्र, आधार कार्ड आदि कागजात मिसल साथ संलग्न है।

अतः नोटिस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पानगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी 07–04–2026 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना एतराज या आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है, अन्यथा अपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश सम्बन्धित हल्का कर्मचारियों को जारी कर दिए जाऐंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज या आपत्ति मान्य न होंगे।

आज दिनांक 20–03–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

———————

CHANGE OF NAME

I, Tej Bahadur s/o Sh. Sher Bahadur, r/o Ghalaiya (54), P.O. Galeha, District Shimla (H.P.)-171 204 do hereby solemnly affirm and declare that I am the father and legal guardian of my minor son Rohan Bahadur (Old Name). That I have changed his name from Rohan Bahadur (Old Name) to Rohan (New Name). That hereafter he shall be known and addressed as Rohan (New Name) for all legal and official purposes.

TEJ BAHADUR
s/o Sh. Sher Bahadur,
r/o Ghalaiya (54), P.O. Galeha,
District Shimla (H.P.)-171 204.

CHANGE OF NAME

I, Nitu Devi w/o Sh. Sandeep Kumar, r/o Village Gawana, P.O. Bharog Baneri, Tehsil Dadahu, District Sirmaur (H.P.)-173 022 declare that I have changed my son's name from Baby of Nitu Devi (Old Name) to Nakshat Sharma (New Name). All concerned please note.

NITU DEVI
w/o Sh. Sandeep Kumar,
r/o Village Gawana, P.O. Bharog Baneri,
Tehsil Dadahu, District Sirmaur (H.P.)-173 022.

CORRECTION OF NAME

I, Meena Devi aged 37 years w/o Sh. Sanjay, r/o NH-88, Pahal Road, Banuti, P.O. Rouri, Tehsil & District Shimla (H.P.) do hereby declare that my daughter's name is wrongly recorded as "Z Bhumika" (Old Name) in her Aadhar Card whereas, her correct name is Bhumika (New Name). All concerned please may note.

MEENA DEVI
w/o Sh. Sanjay,
r/o NH-88, Pahal Road, Banuti, P.O. Rouri,
Tehsil & District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Chander Mohan Sharma s/o Sh. D.N. Sharma, r/o B-39, Lane-1, Sector-2, New Shimla (H.P.) declare that Chander Mohan Sharma and Chander Mohan is one and the same person. All concerned please note.

CHANDER MOHAN SHARMA
s/o Sh. D.N. Sharma,
r/o B-39, Lane-1, Sector-2, New Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Anju Kumari (31 years) w/o Sh. Vijay Kumar, r/o Village Barai, P.O. Sunehar, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.) declare that my daughter's name is wrongly entered as baby one of Anju in her Aadhar Card. Whereas, her correct name is Swra Kaundal. So this should be corrected as Swra Kaundal instead of baby one of Anju. All concerned please note.

ANJU KUMARI
w/o Sh. Vijay Kumar,
r/o Village Barai, P.O. Sunehar,
Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sushanta w/o Sh. Basant Lal, r/o Village & P.O. Dhadi Ghunsa, Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Shanta Devi (Old Name) to Sushanta (New Name). All concerned please may note.

SUSHANTA
w/o Sh. Basant Lal,
r/o Village & P.O. Dhadi Ghunsa,
Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Karan Sharma s/o Sh. Hira Singh, r/o Village Deuli, P.O. & Tehsil Balichowki, District Mandi (H.P.) declare that in all government documents my correct name is written as Karan Sharma, but in Aadhar Card and panchayat record my name is mistakenly written as Gayatri Dutt. Kindly correct the same as Karan Sharma.

KARAN SHARMA
s/o Sh. Hira Singh,
r/o Village Deuli, P.O. & Tehsil Balichowki,
District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Pooja Devi w/o Sh. Ram Lal, r/o Village Jiskoon, P.O. Jakha, Tehsil Dodra Kawar, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Sunita (Old Name) to Samita (New Name). All concerned please may note.

POOJA DEVI
w/o Sh. Ram Lal,
r/o Village Jiskoon, P.O. Jakha,
Tehsil Dodra Kawar, District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Surender Kumar s/o Sh. Kesh Chand, r/o Village Panjiara, P.O. Adhwani, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.) declare that my name in my Aadhar Card No. 6357 6266 5773 has been wrongly entered as Surinder Kumar, whereas my correct name is Surender Kumar. All concerned please note.

SURENDER KUMAR
s/o Sh. Kesh Chand,
r/o Village Panjiara, P.O. Adhwani,
Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Bimla Devi w/o Sh. Neter Singh, r/o Village Khamnu, P.O. Gwalpur, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card Bearing No. 9952 5443 2684 my name is wrongly entered as Vimla Devi w/o Sh. Netra Singh, which should be corrected as Bimla Devi w/o Sh. Neter Singh. Please correct this.

BIMLA DEVI
w/o Sh. Neter Singh,
r/o Village Khamnu, P.O. Gwalpur,
Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Vijay Kumar s/o Sh. Suram Chand, r/o Village Amb Doli, P.O. Amb Pathiar, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.) declare that in my daughter's Aadhar Card her name is wrongly entered as Bijitha Marak which should be corrected as Bijitra Marak. Please correct this.

VIJAY KUMAR
s/o Sh. Suram Chand,
r/o Village Amb Doli, P.O. Amb Pathiar,
Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Joginder Singh aged about 39 years s/o Sh. Kirpa Ram, r/o Village Boura, P.O. Kulag, Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.) do hereby solemnly affirm and declare as under that I am a resident of the above mentioned address. That I have changed the name of my daughter from "Annedika" (Old Name) to "Anandika" (New Name). All concerned authorities are requested to take note of the above change of name.

JOGINDER SINGH
s/o Sh. Kirpa Ram,
r/o Village Boura, P.O. Kulag,
Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Karingu Ram s/o Sh. Basanta Ram, r/o Village Khrota, P.O. Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.)-174103 declare that in my Aadhar Card my name is mistakenly mentioned as Karengu Ram but my correct name is Karingu Ram. Now, I want to correct my name in Aadhar Card. All concerned please note.

KARINGU RAM
s/o Sh. Basanta Ram,
r/o Village Khrota, P.O. Barotiwala,
Tehsil Baddi, District Solan (H.P.)-174 103.

CORRECTION OF NAME

I, Param Dei w/o Sh. Ram Partap, r/o Village Abharni, P.O. Sai, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.)-173 205 declare that in my Aadhar Card my name is mistakenly entered as Parama but my correct name is Param Dei, now I want to correct my name in Aadhar Card. All concerned please note.

PARAM DEI
w/o Sh. Ram Partap,
r/o Village Abharni, P.O. Sai, Tehsil Baddi,
District Solan (H.P.)-173 205.

CHANGE OF NAME

I, Manju Kumari d/o Sh. Gulab Singh, r/o Village Khanar, P.O. Shiri Kyari, Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Manju Kumari to Mahi. All concerned please may note.

MANJU KUMARI
d/o Sh. Gulab Singh,
r/o Village Khanar, P.O. Shiri Kyari, Tehsil Shillai,
District Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Rattan Singh s/o Sh. Prithvi Singh, r/o House No. 20, Village Malgaon, P.O. Panjahal, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) declare that the correct and actual name of my son is Mohit Pundi as per his birth/School certificates. However the name of my son is incorrectly shown as Mannat Pundir in his Aadhar Card No. 3465 9344 5748, this is wrong and should be corrected as Mohit Pundir in his Aadhar Card. All concerned please may note.

RATTAN SINGH
s/o Sh. Prithvi Singh,
r/o House No. 20, Village Malgaon, P.O. Panjahal,
Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vimla Devi w/o Sh. Dev Raj, r/o Village Fagot, P.O. Raipur, Tehsil Bhattiyaat, District Chamba (H.P.) declare that I have changed my name from Bimla Devi to Vimla Devi for all purposes in future. All concerned please note.

VIMLA DEVI
w/o Sh. Dev Raj,
r/o Village Fagot, P.O. Raipur,
Tehsil Bhattiyaat, District Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Nokhi Ram s/o Sh. Ratti Ram, r/o Village Gehra, P.O. Balh Churani, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) declare that in my minor son's Aadhar Card bearing No. 5878 4934 5925 his name is wrongly entered as Divyanshu Sharma which should be corrected as Divyansh Sharma. Please correct this.

NOKHI RAM
s/o Sh. Ratti Ram,
r/o Village Gehra, P.O. Balh Churani,
Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Gurinder Kumar s/o Sh. Ram Swaroop, r/o Bhatanwali, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) do hereby declare that my minor son's name has been incorrectly recorded as "Baby of Suman" in his Aadhar Card, whereas his correct name is Kartik in all other official documents. In future my son should be known by his correct name as Kartik.

GURINDER KUMAR
s/o Sh. Ram Swaroop,
r/o Bhatanwali, Tehsil Paonta Sahib,
District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Santosh Kumari w/o Sh. Surender Kumar, r/o Ward No. 6, Gompa Road, Manali, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) solemnly declare that in my son's Aadhar Card having No. 8769 4355 0904 his name is entered as Krishan in place of Krishna. That Krishan & Krishna are one & same person. All concerned please note it.

SANTOSH KUMARI
w/o Sh. Surender Kumar,
r/o Ward No. 6, Gompa Road, Manali,
P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Laxmi Roka Chhetri (New Name) d/o Sh. Padam Singh, c/o Sachin, V.P.O. Deem, Jubbal, P.O. Jubbal, District Shimla (H.P.)-171205 have changed my name from Laxmi (Old Name) to Laxmi Roka Chhetri (New Name) for all future purposes. All concerned may please note.

LAXMI ROKA CHHETRI
d/o Sh. Padam Singh,
c/o Sachin, V.P.O. Deem, Jubbal,
P.O. Jubbal, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Daya Watti (60) w/o Sh. Lachhi Ram, r/o Village Rikhida Naal, P.O. & Sub-Tehsil Pangana, District Mandi (H.P.) declare that her actual and correct name is Daya Watti instead of Dayavanti. All concerned please note.

DAYA WATTI
w/o Sh. Lachhi Ram,
r/o Village Rikhida Naal,
P.O. & Sub-Tehsil Pangana, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sachin Kumar s/o Sh. Gian Chand, r/o Village Bhonda, P.O. Chirgaon, District Shimla (H.P.)-171208 declare that I have changed my minor son's name from Ayub (Old Name) to Ayush Magyan (New Name). All concerned please may note.

SACHIN KUMAR
s/o Sh.Gian Chand,
r/o Village Bhonda,
P.O. Chirgaon, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Balvir Singh s/o Sh. Beli Ram, r/o V.P.O. Khiah, Tehsil & District Hamirpur (H.P.)-177020 declare that in my son's Aadhar Card bearing No. 9725 4447 2641 his name is wrongly entered as Abhinav Mohammad which should be corrected as Aranav. Please correct this.

BALVIR SINGH
s/o Sh. Beli Ram,
r/o V.P.O. Khiah,
Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Denny s/o Sh. Mohan Singh, r/o V.P.O. Bhanera, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. 9506 6782 5990 my name is wrongly entered as Darwin s/o Sh. Mohan Lal which should be corrected as Denny s/o Sh. Mohan Singh. Please correct this.

DENNY
s/o Sh. Mohan Singh,
r/o V.P.O. Bhanera,
Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Viraj Roka Chhetri (New Name) s/o Sh. Padam Singh c/o Sachin, r/o V.P.O. Deem Jubbal, P.O. Jubbal, District Shimla (H.P.)-171205 have changed my name from Viraj (Old Name) to Viraj Roka Chhetri (New Name) for all future purposes. All concerned may please note.

VIRAJ ROKA CHHETRI
s/o Sh. Padam Singh,
c/o Sachin,
r/o V.P.O. Deem Jubbal,
P.O. Jubbal, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vikram Singh Rana s/o Late Sh. Khem Raj, r/o Village Mawalanghat, P.O. Kaloor, Tehsil Nadaun, Mowalaghat, District Hamirpur (H.P.) have changed my name from Vikram Singh to Vikram Singh Rana. Concerned note.

VIKRAM SINGH RANA
s/o Late Sh. Khem Raj
r/o Village Mawalanghat, P.O. Kaloor,
Tehsil Nadaun, Mowalaghat, District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rakesh (New Name) s/o Sh. Amar Singh, r/o Village Patandu, Tehsil Theog, VTC Dharampur (218), P.O. Dharampur Madhan, District Shimla (H.P.)-171201 have changed my name from Ravinder Singh (Old Name) to Rakesh (new Name) for all future purposes. All concerned may please note.

RAKESH
s/o Sh. Amar Singh,
r/o Village Patandu, Tehsil Theog,
VTC Dharampur (218),
P.O. Dharampur Madhan, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rimpy w/o Late Sh. Ranjit Singh, r/o Village Ghumarta, P.O. Fatehpur, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Hritik to Ritik Thakur. He shall be known as Ritik Thakur for all purposes in future. All concerned please note.

RIMPY
w/o Late Sh. Ranjit Singh,
r/o Village Ghumarta, P.O. Fatehpur,
Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट https://rajpatra.hp.gov.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।